XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता पूर्णियाँ

विविध भू0 हदबन्दी वाद संख्या--02/10

1. श्रीमती निभा देवी, पति-- श्री उपेन्द्र विश्वास
ग्राम– सिमरिया, अंचल–कसवा, जिला– पूर्णियाँ..........................आवेदिका

बनाम

बिहार सरकार...विपक्षी

आदेश

यह बाद आवेदिका द्वारा दफा–47 भू0 हदबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत लिपिकीय भूल सुधार हेतु दायर किया गया, सुना।

आवेदिका का कथन है कि आवेदिका ने अपने विकल्प सूची में मौजा–बैसा, खाता नं0–481, खेसरा--252 (उत्तर से) एवं खाता संख्या–484, खेसरा–278 (दक्षिण से) अपने सिलिंग इकाई में रखने का आग्रह किया है किन्तु दफा–11(1) के गजट दिनांक 21.12.05 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में उक्त खेसरा–251, रकवा–66 1/2 डिसमील बिना दिशा दिखाये हुए आवेदिका के यूनिट में दिखाया गया है तथा पुनः उक्त खेसरा–251 रकवा 66 1/2 डि0 को अधिशेष भूमि के रूप में दिखाया गया है। इसी प्रकार खाता–484 खेसरा--278 रकवा–1.45 एकड़ भूधारी के यूनिट में दिखाया गया है तथा उक्त खेसरा–278 रकवा--146 एकड़ अधिशेष दिखाया गया है जिसमें दिशा का निर्देश नहीं है, जबकि खेसरा–278 का दक्षिण से आवेदिका ने अपने सीलिंग यूनिट में 1.45 1/2 एकड़ रखने का विकल्प दिया है।

आवेदिका के आवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णियाँ से प्रतिवेदन की माँग की गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन पत्रांक--052 दिनांक 07.05.10 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदिका का कथन सत्य है, उक्त गजट प्रकाशन में लिपिकीय भूल हुई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस आवेदन को स्वीकार करते हुए आदेश दिया जाता है कि आवेदिका द्वारा उक्त दोनों खेसरा आवेदिका के यूनिट में दिशा को दर्शाते हुए पुनः दोनों गजट प्रकाशन कर लिपिकीय भूल को सुधार करें।

आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णियाँ एवं अपर समाहर्त्ता, भू0 हदबन्दी, पूर्णियाँ को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

इस निर्णय के साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ